



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 28 अक्टूबर, 2014 / 6 कार्तिक, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Dated, the 17th October, 2014

No. HHC/Estt.3(509)/2000-I.—05 days earned leave on and w.e.f. 13-10-2014 to 17-10-2014, with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 11-10-2014 & 12-10-2014 is hereby sanctioned in favour of Shri Subhash Chand Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Subhash Chand Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he had proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on above leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 अक्टूबर, 2014

संख्या: मुद्रण(बी) 10-43/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, में **अनुलिपित्री ऑपरेटर वर्ग-IV** (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध —“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुलिपित्री ऑपरेटर, वर्ग-IV (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) अधिसूचना संख्या : मुद्रण (बी) 2-8/98 तारीख 21-9-2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुलिपित्री ऑपरेटर, वर्ग-4 (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
मनीषा नंदा
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुलिपित्री ऑपरेटर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. **पद का नाम.**— अनुलिपित्री ऑपरेटर।

2. **पद (पदों) की संख्या.**— 2 (दो)।

3. **वर्गीकरण.**— वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं।

4. **वेतनमान.**— (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.—पे बैंड: 4900-10680/—रुपये जमा 1800/—रुपये ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—6700/—रुपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)।

5. **“चयन” पद अथवा “अचयन” पद.**—अचयन पद।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों, तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेसित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:—(क) अनिवार्य अर्हता(ए).**—(I) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से दसवीं पास या इसके समतुल्य।

(II) विभिन्न प्रकार की अनुलिपित्रों को चलाने का भी अनुभव रखता हो।

(ख) **वाँछनीय अर्हता(ए).**—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:—आयु :** लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता:— लागू नहीं ।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा :—चपरासी/चौकीदारों/मालियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर उनके संवर्ग-वार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण:—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैकनीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक)पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

(I) संकल्पना:—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुलिपित्र ऑपरेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है तथा केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना:—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा, और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तें रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:—संविदा के आधार पर नियुक्त अनुलिपित्र ऑपरेटर को 6700/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्वी वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 189/-रूपये की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया:—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:**—जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी, अर्थात् नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) **करार:**—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-‘ख’ के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) **निबन्धन और शर्तें:**—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6700/—रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 189/—रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, और चिकित्सा अवकाश विशेष अवकाश को कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी । परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्यता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

16. आरक्षण:—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा:—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति:—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध 'ख'

अनुलिपि ऑपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"प्रथम पक्षकार"** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"द्वितीय पक्षकार"** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

द्वितीय **"पक्षकार"** ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने—अनुलिपि ऑपरेटर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार अनुलिपि ऑपरेटर के रूप में से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत विस्तारित/की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6700/—रुपये प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त अनुलिपि ऑपरेटर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी। परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:—

1.
.....
.....
नाम व पूरा पता

2.
.....
.....
नाम व पूरा पता

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में:—

1.
.....

.....
नाम व पूरा पता

2.
.....
.....
नाम व पूरा पता

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English Text of this department Notification No: Mudran (B)10-43/2010 dated 13 10-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th October, 2014

No: Mudran (B)10-43/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of **Duplicating Machine Operator**, Class-IV (Non Gazetted), (Ministerial Services), in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure “A” appended to this notification namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Duplicating Machine Operator Class-IV (Non-Gazetted), (Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2014.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra H.P.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Duplicating Machine Operator, Class-IV, (Non-Gazetted), (Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified vide Notification No: Mudran (B)2-8/98, dated 21-9-2000 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under Sub- Rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order,
MANISHA NANDA
Pr. Secretary (P&S).

ANNEXURE”A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DUPLICATING MACHINE OPERATOR CLASS-IV (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Duplicating Machine Operator.

2. Number of Post(s).—02(Two).

3. Classification.—Class-IV(Non-Gazetted) (Ministerial Services).

4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents: Pay Band : RS.4900-10680/- +Rs.1800/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees.—Rs.6700/-P.M. (As per details given in Col. No.15-A).

5. Whether “Selection” post or “Non-Selection” post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relax-able for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, is relax able at the discretion of the recruiting authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct Recruit(s).—
(a) Essential Qualification(s)(i) Matric Pass or its equivalent Pass from a recognized Board of School Education/ Institution.

(ii) Should also possess experience in the operating of different kinds of duplicating machines.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age* : Not applicable

Educational Qualification.—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment:whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. No: 15 –A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.— By promotion from amongst the Peon, Chowkidars and Malis who possess 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any in the grade. For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials based on the length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules provided that ;

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him / her in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of The Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules ,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards

the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis on viva-voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission /other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the **Duplicating Machine Operator** in the Printing & Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year ,which may be extendable, on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/ HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department H.P., after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Duplicating Machine Operator** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 6700/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band + Grade Pay.) An amount of Rs.189/ (3% of minimum of the pay band + Grade Pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent years will be allowed if the contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY/AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. Controller Printing and Stationery.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting Authority i.e. Controller Printing and Stationery H.P from time to time.

(VI) (AGREEMENT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure-B appended to these Rules

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.6700/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ **Rs.189/-**(3% of minimum of the Pay band +Grade pay of the post) for further extended year(s) and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks maternity leave, 10 day's medical leave and 5 day's special leave. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee ;

Provided that un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for the unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. is to be made: Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scales.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes Other Backward/ Classes Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Duplicating Machine Operator & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery. H.P.

This agreement is made on this.....day of..... in the year. Between.....Sh/Smt.....S/o/D/o Shri.....R/o..... Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as **Duplicating Machine operator** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Duplicating Machine Operator** for a period of one year commencing on day of -----and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ----- And information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.6700/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual **Duplicating Machine Operator** will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled

for 16 weeks maternity leave, 10 day's medical leave and 5 day's special leave. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee;

Provided that un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the Contract. However, in exceptional cases where the circumstances for the un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.
.....
.....
(Name and full Address)

2.
.....
.....
(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

.....

 (Name and full Address)

2.

 (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

मजीठा हाऊस, शिमला-171002, Majitha House Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152

No. SEC- 16-1/2011- 1627-1733

Dated, the 28th October, 2014

ORDER

Whereas Article 243K of the Constitution of India and Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 provides that the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for the Panchayats shall vest in the State Election Commission;

Whereas Rule 22 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 provides that the State Election Commission may at any time, for reasons to be recorded, direct a special revision of electoral rolls in such a manner as it may think fit;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the aforesaid vested powers, hereby prescribes the manner for special summary revision of the existing electoral rolls of the Panchayats for the conduct of by-elections to casual vacancies, as and when such vacancy arises and the special revision is required:

- i. The existing electoral roll (finally notified) shall be made available for inspection of the general public at the headquarters of the Gram Panchayat concerned.
- ii. Any person who has acquired qualification with reference to the qualifying date notified by the State Election Commission under Rule 14 (e) or has otherwise become eligible to be enrolled as an elector can apply for inclusion of his name in the electoral roll to the Revising Authority.
- iii. The applications to the Revising Authority shall be made not later than nine days before the last date fixed and notified for filing of nomination papers.
- iv. The application shall be submitted on Form No. 2, 3 or 4 prescribed under the HP Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, as the case may be.
- v. The applications received as per sub-para – iv shall be disposed off after due notice to the concerned party (ies) and hearing the objections and counter claims, if any, in accordance with the provisions prescribed under Rules ibid.
- vi. The Revising Authority shall dispose off the applications, so received, before the last date fixed for nominations.

- vii. The Deputy Commissioner/District Panchayat Officers/Block Development Officers/Panchayat Secretaries concerned will ensure that whenever such a special revision is ordered by the Commission, a wide publicity of the same is made within the jurisdiction of the concerned Panchayat.

By order,
(T.G. NEGI)
State Election Commissioner.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

मजीठा हाऊस, शिमला-171002, Majitha House Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
No. SEC- 16- 1/2011-1735-64 Dated the 28 October, 2014

NOTIFICATION

Whereas casual vacancies have occurred in various wards of Panchayati Raj Institutions of Himachal Pradesh;

Whereas section 131 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 provides that whenever a vacancy occurs, such vacancy shall be filled as soon as may be, in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

Whereas electoral rolls of all the Panchayats with 1.1. 2013 as qualifying date had already been notified;

Whereas it appears justified, reasonable and obligatory to the State Election Commission to revise the existing electoral rolls of the Panchayats where by-elections are due in order to provide right to vote and right to contest to all the eligible persons;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under, inter alia, Rule 22 of the HP Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, hereby directs the special summary revision with 1.1.2014 as the qualifying date (in terms of Rule 14 (e) of rules ibid) of the existing electoral rolls of those Panchayats where process for the by-elections is to be undertaken;

The said special revision of electoral roll of the Panchayats shall be undertaken in accordance with the manner prescribed vide State Election Commission Order No. SEC-16-1/2011-1627-1733 dated 28 October, 2014.

By order,
(T.G. NEGI)
State Election Commissioner.

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPT.

NOTIFICATION

Shimla-9, the 22th October, 2014

No.FDS-H(B)2-11/2014-19763-19785.—In exercise of the powers conferred upon me under clause 2(h) of the H.P.Trade Article (Licensing and Control) Order, 1981 and under clause 2

(g) of the H.P. Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003, I, Priyatu Mandal (I.A.S) Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P. hereby authorizes Sh. Beer Singh, Food & Supplies Officer, Kinnaur as Licensing Authority and Controller respectively to exercise all the powers of the Licensing Authority and Controller under the orders referred supra within the territorial jurisdiction of Kinnaur Distt till the posting/appointment of the District Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Kinnaur at Recong Peo with immediate effect.

By order,
(PRIYATU MANDAL)
Director Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, H.P., Shimla-9.

ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा दरुस्ती

श्री प्रभ दयाल पुत्र श्री निहाला, निवासी उपमहाल नरवाणा, मौजा नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रभ दयाल पुत्र श्री निहाला, निवासी उपमहाल नरवाणा, मौजा नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम प्रभ दयाल पुत्र निहाला है जबकि राजस्व रिकॉर्ड उपमहाल नरवाणा में फाहन पुत्र निहाला गलत दर्ज है। आवेदक अपना सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रभ दयाल पुत्र निहाला दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि में प्रार्थी ने अपनी राशन कार्ड की नकल, आधार कार्ड की नकल, पेंशन बुक की नकल की प्रतियां लगाई हैं। जिसकी दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 3-11-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 1-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा दरुस्ती

श्री सन्तोख सिंह पुत्र श्री अर्जुन, निवासी उपमहाल धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सन्तोख सिंह पुत्र श्री अर्जुन, निवासी उपमहाल धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम सन्तोख सिंह पुत्र श्री अर्जुन है जबकि राजस्व रिकॉर्ड उपमहाल धर्मकोट में उसका नाम सन्तोष कुमार पुत्र अर्जुन गलत दर्ज है। आवेदक अपना सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में सन्तोख सिंह पुत्र श्री अर्जुन दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि में प्रार्थी ने अपने स्कूल प्रमाण-पत्र, नकल राशन कार्ड, नकल किसान पास बुक, शपथ-पत्र भी लगाया है। जिसकी दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 3-11-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 1-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : / ई0एम0 / 2014

तारीख पेशी : 16-11-2014

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री सीता राम, निवासी सनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री सीता राम, निवासी सनौर, तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसकी बेटी का जन्म दिनांक 11-10-1998 को उसके गांव सनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त डिम्पल कटोच पुत्री श्री रणजीत सिंह, निवासी सनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं० : /ई0एम0/2014

तारीख पेशी : 16-11-2014

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री ईशर दास, निवासी गगवाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री ईशर दास, निवासी गगवाल, तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसकी बहू के एक बेटे का जन्म दिनांक 27-3-2011 को उसके गांव गगवाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत वकराडवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री दीपक पुत्र श्री गुरबक्श, निवासी गगवाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं० : /ई0एम0/2014

तारीख पेशी : 16-11-2014

श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह, निवासी भोग्रवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह, निवासी भोग्रवा, तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 24-6-2007 को उसके गांव भोग्रवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भोग्रवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त रघुवंश पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी भोग्रवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban), District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Neeraj Sharma s/o Leela Vilas Sharma, r/o H. No. 98/6, Samkhetar Bazar, Mandi Town, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Sonia Sachdeva Sharma d/o Shri Mahesh Sachdeva, r/o H. No. 98/6, Samkhetar Bazar, Mandi Town, District Mandi (H. P.) [at present wife of Shri Neeraj Sharma s/o Leela Vilas Sharma, r/o H. No. 98/6, Samkhetar Bazar, Mandi Town, District Mandi (H. P.)]

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Neeraj Sharma and Smt. Sonia Sachdeva Sharma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-8-2014 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-11-2014 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 15th day of October, 2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Urban), District Mandi (H. P.).*

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban), District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Pranav Tandon s/o Sh. Rajendra Prasad Tandon, r/o H. No. 52/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Siddhi D Sheth d/o Shri Dilip Dhiraj Lal Sheth, r/o H. No. 578/7, Jitender Building, Jame Jamshed Road, 1st Floor, Matunga (E), Mumbai-400 019 [at present wife of Shri Pranav Tandon s/o Sh. Rajendra Prasad Tandon, r/o H. No. 52/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi (H. P.)] . . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Pranav Tandon and Smt. Siddhi D Sheth have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-9-2014 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-11-2014 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 15th day of October, 2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Urban), District Mandi (H. P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural), District
Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Shri Kamal Kishor Saini s/o Sh. Baldev Chand Saini, r/o Village Sihan, P. O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Asha Rani d/o Shri Bihari Lal, r/o Village Syanh, P.O. Lohara, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) [at present wife of Shri Kamal Kishor Saini s/o Sh. Baldev Chand Saini, r/o Village Sihan, P.O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.)] . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Kamal Kishor Saini and Smt. Asha Rani have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-2-2014 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-11-2014 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 16th day of October, 2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Rural), District Mandi (H. P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban), District
Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Shri Tushar Sharma s/o Sh. Harish Paul, r/o Oshonic, Brar Road Solan-Pin-173 212 at present Village Deodhar, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.).

2. Smt. Shruti Kirti d/o Sh. Jitender Nath Gaur, r/o Village Deodhar, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.). [at present wife of Shri Tushar Sharma s/o Sh. Harish Paul, r/o Oshonic, Brar Road Solan-Pin-173 212 at present Village Deodhar, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)] . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Tushar Sharma and Smt. Shruti Kirti have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 17-7-2014 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-11-2014 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 16th day of October, 2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Urban), District Mandi (H. P.).*

अज न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख मरजुआ : 15-10-2014

तारीख पेशी : 21-11-2014

श्री रिशव कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव जोल, डाकघर पन्डोल, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री रिशव कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव जोल, डाकघर पन्डोल, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि 3-1-1996 ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की वास्तविक जन्म तिथि 3-1-1996 है जो कि प्रार्थी के शिक्षा अभिलेख में भी दर्ज है परन्तु प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख मतेहड़ में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मतेहड़ के अभिलेख में दिनांक 3-1-1996 दर्ज करवाना चाहता है जिसे ग्राम पंचायत मतेहड़ के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रिशव कुमार की जन्म तिथि 3-1-1996 ग्राम पंचायत मतेहड़ के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-11-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla(R)
District Shimla (H. P.)**

Smt. Ramavati w/o Shri Keshav Ram, r/o Village Mandyalu, P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla (H. P.).

Versus

General public

.. Respondent.

Whereas Smt. Ramavati w/o Shri Keshav Ram, r/o Village Mandyalu, P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13 (3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her daughter's named Miss Ritika d/o Smt. Ramavati w/o Shri Keshav Ram, r/o Village Mandyalu, P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla (H. P.) in the record of Birth and Death of GP Basantpur issued the non-availability No. Nil, dated 31-7-2014, and also recommended from CMO Shimla vide No. HFW-SML-B&D/ST/12/2508, dated 27-10-2014 as following :—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Miss Ritika	d/o Shri Keshav Ram	30-10-2000

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of birth of above in the record of GP Basantpur Shimla, may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 27-10-2014 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla(R), District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री यशपाल पटियाल पुत्र श्री फुमण सिंह पटियाल, निवासी गांव पंजावर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री यशपाल पटियाल पुत्र श्री फुमण सिंह पटियाल, निवासी गांव पंजावर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र हर्षित पटियाल की जन्म तिथि 26—3—2010 है परन्तु इस जन्म का पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत रिकॉर्ड पंजावर में दर्ज नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने का आदेश दिया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत रिकॉर्ड पंजावर में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2014 तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। बाद में कोई एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 15-10-2014 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री मनजीत कुमार पुत्र श्री दाता राम, वासी गांव मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री मनजीत कुमार पुत्र श्री दाता राम, वासी गांव मलाहत, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री किरना देवी की जन्म तिथि 22-9-2014 है परन्तु इस जन्म का पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत रिकॉर्ड मलाहत में दर्ज नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने का आदेश दिया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत रिकॉर्ड मलाहत में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2014 तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। बाद में कोई एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 15-10-2014 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, वासी अप्पर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, वासी अप्पर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी दादी श्रीमती सावित्री देवी की मृत्यु तिथि 3-6-2005 है परन्तु इस मृत्यु का पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत रिकॉर्ड अप्पर अरनियाला में दर्ज नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने का आदेश दिया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस मृत्यु तिथि का पंजीकरण पंचायत रिकॉर्ड अप्पर अरनियाला में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2014 तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। बाद में कोई एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 15-10-2014 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री अमर दास पुत्र श्री हरका राम, वासी जलगां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री अमर दास पुत्र श्री हरका राम, वासी जलगां टब्बा, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र विक्की राम की जन्म तिथि 26-10-1994 है परन्तु इस जन्म का पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत रिकॉर्ड जलगां टब्बा में दर्ज नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने का आदेश दिया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत रिकॉर्ड जलगां टब्बा में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2014 तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। बाद में कोई एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 15-10-2014 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

